झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/विविध/471/2011– .... /राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

ई० राजेन्द्र प्रसाद
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **e-Governance के अन्तर्गत JAP IT के माध्यम से कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर श्री कन्हैयाजी ठाकुर के दो माह का वेतन एवं पूर्व की बकाया राशि के भुगतान हेतु रू० 37,164.00 (रूपये सैंतीस हजार एक सौ चौसठ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

आदेश–स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग में e-Governance के अन्तर्गत JAP IT के माध्यम से कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर श्री कन्हैयाजी ठाकुर के दो माह का वेतन एवं पूर्व की बकाया राशि के भुगतान हेतु रू० 37,164.00 (रूपये सैंतीस हजार एक सौ चौसठ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. e-Governance के अन्तर्गत JAP IT के माध्यम से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर श्री कन्हैयाजी ठाकुर के 2 माह (अप्रैल 2017 से मई 2017) के संविदा के आधार पर पारिश्रमिक भुगतान एवं माह नवम्बर 2015 से मार्च 2017 तक बकाया राशि के भुगतान का प्रावधान है।
3. इस कार्य पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 4701 – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष –80 – सामान्य, लघु शीर्ष 796 – जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष – 70 – ई–गर्वनेन्स विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59– अन्य व्यय के अन्तर्गत विकलनीय होगा। वित्तीय वर्ष 2017–18 में e-Governance मद में इस शीर्ष में रू० 100.00 लाख का प्रावधान है।
4. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची होंगे एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
5. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
6. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत रहेगा।
7. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायगा।
8. राज्यादेश के प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
9. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

10. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/विविध/471/2011– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/प्रधान सचिव, योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/विविध/471/2011– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/विविध/471/2011– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/विविध/471/2011– 4217 85·स्वी· /राँची, दिनांक 22.09.2017

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता (मो०), राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु /कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/09/2017

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

22/09/17